

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 157]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अप्रैल 2013—वैत्र 15, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2013

क्र. बी-1-36-2012-2-पांच (14).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ), (छ), (ज) के साथ पठित उपधारा (3) के परन्तुक तथा धारा 63 और मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक बी-1-36-2012-2-पांच (2), दिनांक 4 मार्च 2013 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में, की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित नगर/शहर की जनसंख्या या श्रेणी के लिए उसके कालम (3) में दर्शायी गई वार्षिक अनुज्ञासि फीस होटल बार (एफ.एल.-3) अनुज्ञापियों और रिसोर्ट बार (एफ.एल.-3-ए) अनुज्ञापियों के लिए विहित करती है, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	नगर/शहर की जनसंख्या या श्रेणी (2)	वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस (3)
-------------------	--------------------------------------	--------------------------------

होटल बार अनुज्ञाप्ति (एफ.एल.-3)

- ऐसे नगर/शहर के लिए, जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक हो। रुपये 10,60,000/-
- ऐसे नगर/शहर के लिए, जिसकी जनसंख्या पांच लाख से अधिक हो, किन्तु दस लाख से अधिक न हो। रुपये 8,60,000/-
- ऐसे नगर/शहर के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो, किन्तु पांच लाख से अधिक न हो। रुपये 7,50,000/-
- ऐसे नगर/शहर के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक हो, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो। रुपये 6,40,000/-
- जिला मुख्यालय तथा ऐसे नगर/ शहर के लिए, जिसकी जनसंख्या चालीस हजार से अधिक हो, किन्तु एक लाख से अधिक न हो। रुपये 5,30,000/-

(1)	(2)	(3)
6	ईको एडवेंचर पर्यटन के अधीन चिन्हित स्थल जो नगर/शहर से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित हो :—	
	(क) ए-श्रेणी के लिए	रुपये 4,00,000/-
	(ख) बी-श्रेणी के लिए	रुपये 3,40,000/-
	(ग) सी-श्रेणी के लिए	रुपये 3,20,000/-
7	ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हेरीटेज होटल जो पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हो	रुपये 2,10,000/-
8	नगर, शहर तथा स्थान जहां केवल मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल बार (एफ.एल.-3) अनुज्ञित हैं।	रुपये 2,90,000/-
9	ऊपर अनुक्रमांक 8 पर वर्णित से भिन्न मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों के लिए	रुपये 3,50,000/-
10	रिसोर्ट बार (एफ.एल.-3-ए) अनुज्ञित	रुपये 5,30,000/-

परन्तु होटल बार (एफ.एल.-3) अनुज्ञित तथा रिसोर्ट बार (एफ.एल.-3-ए) अनुज्ञित के लिए अनुज्ञित फीस उपरोक्तानुसार ही रहेगी, भले ही अनुज्ञित वर्ष के किसी भाग के लिए दी गई/मंजूरी की गई हो :

परन्तु यह और कि अनुज्ञित फीस, 2011 की जनगणना के अंतिम या प्रावधिक आंकड़े के प्रकाशन होने की तारीख से आगामी वर्ष के लिए प्रभावी होगी।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2013 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2013

क्र. बी-1-36-2012-2-पांच, (14).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-36-2012-2-पांच (14), दिनांक 5 अप्रैल 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अपर सचिव.

Bhopal, the 5th April 2013

No. B-1-36-2012-2-V (14).—In exercise of the powers conferred by clauses (e), (g), (h) of sub-section (2) of Section 62, read with proviso of sub-section (3) and Section 63 of Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub-rule (2) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession of this Department's earlier Notification No. B-1-36-2012-2-V (2), dated the 4th March, 2013, the State Government, hereby, prescribes the annual licence fee for Hotel Bar (F.L.-3) Licences and Resort Bar (F.L.-3-A) Licences, as shown in column (3) of the table below for the population or category of Town/City mentioned in the corresponding entry in column (2) thereof, namely :—

TABLE

S.No. (1)	Population or Category of Town/City (2)	Licence fee per annum (3)
--------------	--	------------------------------

Hotel Bar Licence (F.L.-3)

1	For a town/city of which the population exceeds Ten lacs	Rs. 10,60,000/-
---	--	-----------------

(1)	(2)	(3)
2	For a town/city of which the population exceeds Five lacs but does not exceed Ten lacs.	Rs. 8,60,000/-
3	For a town/city of which the population exceeds Three lacs but does not exceed Five lacs.	Rs. 7,50,000/-
4	For a town/city of which the population exceeds One lac but does not exceeds Three lacs.	Rs. 6,40,000/-
5	For a District Headquarter and for a town/city of which the population exceeds 40,000 but does not exceed One lac.	Rs. 5,30,000/-
6	Places identified under eco-adventure tourism which are situated at a distance more than 5 more kilometer from the town/city:— (a) A-Category (b) B-Category (c) C-Category	Rs. 4,00,000/- Rs. 3,40,000/- Rs. 3,20,000/-
7	Heritage Hotels situated in rural areas which are recognized by Tourism Department	Rs. 2,10,000/-
8	Town, city and places, where only Madhya Pradesh Tourism Development Corporation is having Hotel Bar (F.L.-3) Licence.	Rs. 2,90,000/-
9	Hotels of Madhya Pradesh Tourism Development Corporation other then as described at serial number 8 above.	Rs. 3,50,000/-
10	Resort Bar (F. L. 3-A) Licences	Rs. 5,30,000/-

Provided that the licence fee shall be as above even if the Hotel Bar (F. L.-3) Licence and Resort Bar (F. L.3-A) Licences are given/sanctioned for a part of the year:

Provided further that the licence fee shall be effective from the date of final or provisional publication of data of Census 2011 for forthcoming year.

2. This notification shall come into force from 1st April 2013.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
H. U. KHAN, Addl.Secy.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2013

क्र. बी-1-36-2012-2-पांच (15).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ), (छ), (ज) के साथ पठित उपधारा (3) के परन्तुक और धारा 63 तथा मध्यप्रदेश विदेशी मंदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक बी-1-36-2012-02-पांच (3), दिनांक 4 मार्च 2013 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में, की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित नगर/शहर की श्रेणी के लिए, उसके कालम (3) में दर्शायी गई वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस रेस्तरं बार (एफ.एल.-2) अनुज्ञाप्तियों के लिए विहित करती है, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	नगर/शहर की श्रेणी (2)	वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस (3)
-------------------	--------------------------	--------------------------------

1	ग्वालियर, इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, सागर, उज्जैन एवं रीवा	रुपये 6,40,000/-
---	--	------------------

(1)	(2)	(3)
2	कान्हा किसली (जिला मंडला), पेंच (जिला सिवनी), बांधवगढ़ (जिला उमरिया), मुक्की (जिला बालाघाट), पचमढ़ी (जिला होशंगाबाद), माण्डू (जिला धार) और भीमबैठिका (जिला रायसेन).	रुपये 2,20,000/-
3	भोपाल तालाब में क्रूज बोट	रुपये 1,70,000/-

परन्तु रेस्तरां बार (एफ. एल.-2) अनुज्ञित के लिए अनुज्ञित फीस उपरोक्तानुसार ही रहेगी, भले ही अनुज्ञित वर्ष के किसी भाग के लिए दी गई/मंजूर की गई हो।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2013 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2013

क्र. बी-1-36-2012-2-पांच (15).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-36-2012-2-पांच (15), दिनांक 5 अप्रैल 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अपर सचिव.

Bhopal, the 5th April 2013

No. B-1-36-2012-2-V (15).—In exercise of the powers conferred by clauses (e), (g), (h) of sub-section (2) of Section 62, read with proviso of sub-section (3) and Section 63 of Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub-rule (2) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession of this Department's earlier Notification No. B-1-36-2012-2-V (3), Dated the 4th March, 2013, the State Government, hereby, prescribes the annual licence fee for Restaurant Bar (F.L.-2) Licences as shown in column (3) of the Table below for the category of town/city mentioned in the corresponding entry in column (2) thereof, namely :—

TABLE

S.No.	Category of Town/City (2)	Licence fee per annum (3)
1	Gwalior, Indore, Bhopal, Jabalpur, Sagar, Ujjain and Rewa	Rs. 6,40,000/-
2	Kanha Kisli (District Mandla), Pench (District Seoni) Bandhavgarh (District Umariya), Mukki (District Balaghat), Panchmari (District Hoshangabad), Mandu (District Dhar) and Bhimbethika (District Raisen).	Rs. 2,20,000/-
3	Cruise Boat in Bhopal Lake	Rs. 1,70,000/-

Provided that the licence fee shall be as above even if the Restaurant Bar (F. L.-2) Licence is given/sanctioned for a part of the year.

2. This notification shall come into force, from 1st April, 2013.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
H.U. KHAN, Addl.Secy.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2013

क्र. बी-1-36-2012-2-पांच (16).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ड), (छ) के साथ पठित उपधारा (3) के परन्तुक और धारा 63 तथा मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक बी-1-36-2012-2-पांच (4), दिनांक 4 मार्च, 2013 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में की तस्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित अनुज्ञासि के स्थान की श्रेणी के लिए, उसके कालम (4) में दर्शायी गई वार्षिक अनुज्ञासि फीस वाणिज्यिक क्लब बार (एफ.एल.-4-क) एवं सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.-4) के लिए विहित करती है, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	अनुज्ञाप्ति का प्रकार (2)	अनुज्ञासि के स्थान की श्रेणी (3)	वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस (4)
1	वाणिज्यिक क्लब बार (एफ.एल.-4-क) अनुज्ञाप्ति.	नगरीय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र	रुपये 4,80,000/- रुपये 2,40,000/-
2	सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.-4) अनुज्ञासि	—	रुपये 80,000/-

इन्दौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित वाणिज्यिक क्लब बार (एफ.एल.-4-क) अनुज्ञासि के लिए वार्षिक अनुज्ञासि फीस, इन्दौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर जिलों के नगरीय क्षेत्रों में स्थित वाणिज्यिक क्लब बार (एफ.एल.-4-क) द्वारा देय वार्षिक अनुज्ञासि फीस के समान प्रभार्य होगी :

परन्तु वाणिज्यिक क्लब बार (एफ.एल.-4-क) तथा सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.-4) अनुज्ञासियों के लिए वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस उपरोक्तानुसार ही रहेगी भले ही अनुज्ञाप्ति वर्ष के किसी भाग के लिए दी गई/मंजूर की गई हो।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2013 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2013

क्र. बी-1-36-2012-2-पांच (16).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-36-2012-2-पांच (16), दिनांक 5 अप्रैल 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अपर सचिव.

Bhopal, the 5th April 2013

No. B-1-36-2012-2-V (16).—In exercise of the powers conferred by clauses (e), (g) of sub-section (2) of Section 62, read with proviso of sub-section (3) and Section 63 of Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub-rule (2) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession of this Department's earlier Notification No. B-1-36-2012-2-V (4), Dated the 4th March, 2013, the State Government, hereby, prescribes the annual licence fee for Commercial Club Bar (F.L.-4-A) and Civilian Club Bar (F.L.-4) Licences, as

shown in column (4) of the Table below for the category of the place of the Licence mentioned in the corresponding entry in column (3) thereof, namely :—

TABLE

S.No. (1)	Type of Licence (2)	Category of the Place of the License (3)	Licence fee per annum (4)
1	Commercial Club Bar (F. L. 4-A) Licence.	Urban Places Rural Places	Rs. 4,80,000/- Rs. 2,40,000/-
2	Civilian Club Bar (F. L.-4) Licence		Rs. 80,000/-

Annual license fees for the Commercial Club Bar (F.L.-4-A) Licence located in rural areas of Indore, Bhopal, Jabalpur and Gwalior Districts, shall be charged, equivalent as annual license fees payable by the Commercial Club Bar (F.L.-4-A) Licence situated in urban areas of Indore, Bhopal, Jabalpur and Gwalior District:

Provided that the licence fee shall be as above even if the Commercial Club Bar (F. L.-4-A) and Civilian Club Bar (F. L.-4) Licence is given/sanctioned for a part of the year.

2. This Notification shall come into force from 1st April, 2013.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
H. U. KHAN, Addl.Secy.